कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक–3665/12–1, दिनांकः मसूरी, 5-3-2020।.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०,
नई टिहरी (टिहरी गढवाल)।

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड के अन्तर्गत क्यारी–सुरकन्डा नामे तोक में 11 के०वी० लाईन के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.60है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०, को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 501/वि०वि०ख०टि०/क्यारी–सुरकन्डा, दिनांक 20–02–2020

महोदय,

उक्त सन्दर्भित सान्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। विषयांकित प्रकरण में वन एंव पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 128/ग–4–16/2(06)/2016 दिनांक 31 मार्च 2016 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0 1 व 2 की अनुपालन आख्या सुनिश्चित कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3698/12–1, दिनांक 07–03–2017 के द्वारा वांछित धनराशि जमा कराये जाने का डिमान्ड नोट तथा पुनः पत्र सं0 1809/12–1, दिनांक 17–11–2017 के द्वारा लिखा गया था। किन्तु आपके द्वारा वांछित धनराशि CAMPA में निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं करायी गयी। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपके द्वारा वर्तमान दरों के आधार पर पुनः डिमान्ड नोट निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0 1 व 2 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) एंव शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का संशोधित डिमान्ड नोट पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

क.सं.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है0 में)/पौध	दर	देय धनराशि
1.	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव।	250पौध	1210/पौध	3,02,500.00
2.	एन0पी0वी0	0.60 है0	6,57,000.00/है0	3,94,200.00
	योग :–			6,96,700.00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 व 2 तथा अन्य शर्तो 3, 4, 5, 6 एंव 7 की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आनलाईन करते हुए संगत दस्तावेजों /अनुपालन आख्या की तीन प्रतियां अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3665 /दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सादर प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

Scanned with CamScanner